

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2025(GCMS 2025/141)

(RTI No.: 212241688575188)

श्री विनोद पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति जाट जरिये शिवकुमार आचार्य, कोर्ट कैम्पस,
अनूपगढ़ (मोबाईल नम्बर : 82391-45588)

बनाम

उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़

24.10.2025



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विनोद स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विनोद ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2024 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विनोद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र की प्रति शामिल नहीं की है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/983 दिनांक 01.05.2025 एवं स्मरण पत्र 1235 दिनांक 02.06.2025 एवं 1616 दिनांक 05.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर



